



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-08.02.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने मु0अ0सं0 32/2026 धारा 109/352/351(3)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.02.2026 को थाना दोघट पर वादी शुभम पुत्र कृष्णपाल सिंह, निवासी ग्राम किरठल, थाना रमाला, जनपद बागपत द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्तों 1- सुभाष उर्फ छोटू पुत्र रामस्वरूप, 2- निशान्त पुत्र



सुभाष उर्फ छोटू, 3- बिडू पुत्र रामस्वरूप, निवासीगण ग्राम सिसौली, थाना भौरांकला, जनपद मुजफ्फरनगर, 4- सतेन्द्र उर्फ मुखिया पुत्र रामदास, निवासी ग्राम सुन्हैड़ा, थाना खेकड़ा, जनपद बागपत, तथा दो अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई एवं अभियुक्तों 1- सुभाष उर्फ छोटू एवं 4- सतेन्द्र उर्फ मुखिया द्वारा वादी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिससे वादी बाल-बाल बच गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 32/2026 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 32/2026 धारा 109(1)/352/351(3)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान घटना स्थल से 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है, जिसके आधार पर धारा 3(5) बीएनएस व 3/25/27 आम्र्स एकट की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.निशान्त पुत्र सुभाष उर्फ छोटू उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम सिसौली थाना भौरांकला जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2.बिहू उर्फ नौवहार पुत्र रामस्वरूप उम्र करीब 47 वर्ष निवासी ग्राम सिसौली थाना भौरांकला जनपद मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- व0उ0नि0 श्री दिनेशपाल सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2- उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3- उ0नि0 श्री वीरेन्द्र थाना दोघट जनपद बागपत।
- 4- उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
- 5- उ0नि0 श्री दिव्य कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
- 6- म0उ0नि0 नीरज थाना दोघट जनपद बागपत।
- 7- का0 951 पीताम्बर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।





प्रेस नोट


थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 08.02.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम

पता-

नसीम पुत्र यामीन निवासी शेरपुर थाना छपरौली जनपद बागपत हाल निवासी मौ० गुलशन नगर थाना केराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-उ0नि० श्री तहसीन खां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2-है०का० 818 इलियास थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना- सिंधावली अहीर

दिनांक -08.02.2026

थाना सिंधावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 -45/26 धारा
191(2)/333/115(2)/352/351/(3)/109(1)/126(2) बीएनएस से सम्बन्धित
01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.02.2026

को थाना सिंधावली अहीर पर वादी शकील पुत्र जहीर निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.आशू पुत्र इम्तयाज उर्फ बोडा, 2.आसिफ पुत्र इम्तयाज उर्फ बोडा, 3.सलमान पुत्र लाला, 4.चांद पुत्र नफीस, 5.जाहिद पुत्र नफीस निवासीगण ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंधावली जनपद बागपत द्वारा उसको रास्ते में रोककर उसके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा हाथों में लाठी-डन्डा लेकर उसके घर में घुसकर उसके व उसकी लड़की व लड़के शेरखान के साथ मारपीट की गयी तथा उक्त सभी के द्वारा मिलकर उसके गले में रस्सी डालकर जान से मारने की नीयत से गला दबाया, जिससे उसके गले पर काफी निशान आ गये तथा जाते समय जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंधावली अहीर पर मु0अ0सं0 45/26 धारा 191(2)/333/115(2)/352/351/(3)/109(1)/126(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंधावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 -45/26 धारा - 191(2)/333/115(2)/352/351/(3)/109(1)/126(2)



बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

आशु पुत्र इम्तयाज उर्फ बौडा उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत।

2-है0का0 689 विपिन कुमार थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत।

